न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 01/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री दिलीप गौड़ पुत्र श्री मिश्रीलाल गौड़ निवासी चांदणा भाकर, हाल चाय नाश्ता स्टोर, एम्स के सामने गेट नं.3 जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.06.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री दिलीप गौड़ पुत्र श्री मिश्रीलाल गौड़ निवासी चांदणा भाकर हाल चाय नाश्ता स्टोर एम्स के सामने गेट नं.3, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसको दिनांक 16.01.2023 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.2022 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा चाय नाश्ता स्टोर एम्स के सामने गेट नं.3 जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम दिलीप गौड पुत्र श्री मिश्रीलाल गौड बताया एवं दुकान में इण्डेन के घरेलु गैस का 1 सिलेण्डर (जिसमें शुद्ध गैस का भार 10.250 किलो वजन) दुकान में भट्टी से लगाकर चाय नाश्ता बनाने के लिए उपयोग करते हुए पाया गया। जिनका संचालक की उपस्थिति में वजन करवाने पर कम मात्रा में गैस पाई गई जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	[illegible]	गैस का वजन (किलो में)
1.	इण्डेन	571604T	15.700 कि.ग्रा.	25.[illegible] कि.ग्रा.	10.250 कि.ग्रा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:08:00 IST
Reason: SelfAttested

उक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर प्रतिनिधि निशा एच.पी. बासनी द्वितीय फेज के प्रतिनिधि श्री उदित पुत्र चन्द्र बहादुर भंडारी को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त घरेलु गैस के 01 सिलेण्डर को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर 01 घरेलू सिलेण्डर का दुकान में भट्टी से लगाकर चाय नाश्ता बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर का दुकान में भट्टी से लगाकर चाय नाश्ता बनाने हेतु व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 01 (एक) घरेलु गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:08:00 IST
Reason: SelfAttested